केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

दिनांक: 16.05.2018

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60058
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/50282

अपीलकर्ता : श्री चौ0 नारायण सिंह, अधिवक्ता,
द्वारा – श्री कृष्ण पाल, अधिवक्ता,
2021, पिलंजी कोटला मुबारकपुर,
नई दिल्ली – 110023.

निर्णय की तारीख : 16.05.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.04.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.05.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्रीमती सविता तलूजा (श्री एस. पी. बेक, सं.स. द्वारा 5 (4) के तहत सहायता)
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.05.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से छः बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (प्र0) द्वारा श्री एस. पी. बेक, संयुक्त सचिव (प्र0) से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत सहायता लेकर अपीलकर्ता को प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 22.04.2018 के उक्त ऑनलाईन आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1, 2, 3, 4 एवं 6 के संदर्भ में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुरूप है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 5 के संदर्भ में पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की गई है, तद्नुसार श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकार (प्र0) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को उनके आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 5 से संबंधित पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जाए ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
17 MAY 2018
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (प्र0), के0सू0आ0, नई दिल्ली ।

सविता 17/5/18

17/5/18